न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 69/2021

उनवान

नन्द किशोर पिता गोपाल जाति माली उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रार्थी........

बनाम

श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा. रावतभाटा, कार्यालय रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

विपक्षी......

अपील अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक प्राथी

निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत विपक्षी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2021 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ में खाता संख्या 287 आराजी नंबर 434 रकबा 1.08 है0 सहखातेदारी में हिस्सा 1/4 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात में पप्पूलाल पिता गोपाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का असल नाम नन्द किशोर पिता गोपाल जाति माली है एवं प्रार्थी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, स्कूल की अंकतालिका, आयकर विभाग का पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक, राशन कार्ड में प्रार्थी का जन्म से ही नन्द किशोर ही अंकित है। जबकि कृषि आराजीयात में पप्पूलाल पिता गोपाल दर्ज है। जिससे प्रार्थी को बैंक ऋण लेने मे आदि में शपथ–पत्र आदि में परेशानी होती है।

इस हेतु प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम पप्पूलाल के बजाय नाम नन्द किशोर अंकित कराने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत एकलिंगपुरा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई, सरपंच द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम पप्पूलाल व नन्द किशोर एक ही व्यक्ति का नाम होना प्रमाणित किया गया है व प्रकरण में तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 एकलिंगपुरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार पप्पूलाल व नन्द किशोर अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नन्द किशोर अंकित कराना चाहता है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। हस्ब रिपोर्ट ग्राम पंचायत एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा व तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम पप्पूलाल के स्थान पर प्रार्थी का नाम नन्द किशोर किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहना पटवार मण्डल एकलिंगपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 287 में अंकित प्रार्थी का नाम पप्पूलाल के बजाय नन्द किशोर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़